इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अप्रैल 2022—वैशाख 8, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2022

क्र. 6387-99-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०२२

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२२

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २८ अप्रैल, २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२२ है.

(२) यह १८ अप्रैल, २०२२ से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १७ सन् २००७ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक ४० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनु-क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
''४१.	प्रेस्टीज विश्वविद्यालय, इन्दौर.	प्रेस्टीज एज्यूकेशन फाउन्डेशन, इंदौर.	कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी.	प्रेस्टीज विश्वविद्यालय, ग्राम-रिंगनोदिया, इन्दौर-उज्जैन स्टेट हाइवे, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४२.	टाइम्स विश्वविद्यालय, भोपाल.	साईनाथ एज्यूकेशनल ट्रस्ट, आगरा (उ. प्र.)	भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	टाइम्स विश्वविद्यालय, सेमरा सैयद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४३.	डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी.	लक्ष्मण सेठ एज्यूकेशन फाउन्डेशन, झांसी (उ. प्र.)	कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी.	डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम-दिनारा, तहसील-करेरा, जिला-शिवपुरी.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४४.	एल एन सी टी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंदौर.	श्री आस्था फाउन्डेशन फॉर एज्यूकेशन सोसाइटी, इंदौर.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	एल एन सी टी केम्पस, ग्राम-कनाड़िया, कनाड़िया रोड, इंदौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.''.

भोपाल :
तारीख २५ अप्रैल, २०२२.

मंगुभाई छ. पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2022

क्र. 6387-99-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 2 OF 2022

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHYADESH, 2022

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th April, 2022.

Promulgated by the Governor in the seventy third year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhyadesh, 2022.

(2) It shall come into force from 18th April, 2022.

Madhya Pradesh Act No. 17 of 2007 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3.

Amendment of Schedule.

3. In the Schedule to the principal Act, after serial number 40 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :—

S. No. (1)	Name of Private university (2)	Name of sponsoring body (3)	Mode of forming sponsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
"41.	Prestige University, Indore.	Prestige Education Foundation, Indore.	Company registered under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013).	Prestige University, Gram-Ringnodia, Indore-Ujjain State Highway, Indore.	Whole of Madhya Pradesh.
42.	Times University Bhopal.	Sainath Educational Trust, Agra (U. P.)	Public Trust, registered under the Indian Trusts Act, 1882 (No. 2 of 1882).	Times University, Semra Saiyad, Tehsil Huzur, District Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh.
43.	Dr. Preeti Global University, Shivpuri.	Laxman Seth Education Foundation, Jhansi (U. P.)	Company registered under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956).	Dr. Preeti Global University, Gram-Dinara, Tehsil-Karera, District Shivpuri.	Whole of Madhya Pradesh.
44.	LNCT Vidhyapeeth University, Indore.	Shri Astha Foundation, for Education Society, Indore.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	LNCT Campus, Village-Kanadiya, Kanadiya Road, Indore.	Whole of Madhya Pradesh.".

BHOPAL :
Dated, the 25th April 2022.

MANGUBHAI C. PATEL
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.